

रेलवे भर्ती बोर्ड, सूचना शीट (रोज़गार सूचना सं. 02/2010 के लिए)
(केवल साफ जसतों में भरा जाना है - हस्ताक्षर कैपिटल/ओपन सैटर्स में नहीं होने चाहिए)

1. उम्मीदवार का नाम (केवल अंग्रेजी में)

2. टिक (✓) करें, लिंग महिला पुरुष वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित

3. राष्ट्रीयता

4. रशाई पता :

राज्य पिनकोड

5. (क) संलग्न पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण :-

डाकघर/बैंक का नाम	क्रम सं. एवं तिथि	राशि

5. (ख) क्या आप शुल्क में छूट चाह रहे हैं (हां/नहीं) निम्नलिखित में से उपयुक्त बॉक्स को टिक (✓) करें

(i) आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी उम्मीदवार के रूप में

(परिशिष्ट-7 के अनुरूप आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें)

(ii) अल्पसंख्यक उम्मीदवार के रूप में

(परिशिष्ट-8 के अनुसार स्वयं-घोषणा संलग्न की जानी है)

(iii) महिला उम्मीदवार के रूप में

(iv) अजा/अजजा उम्मीदवार के रूप में

(v) भूपूसे के तौर पर

(vi) शारीरिक विकलांग के तौर पर

6. धर्म : हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन पारसी अन्य

7. क्या आप

(i) सरकारी कर्मचारी हैं (हां/नहीं)

(ii) भूतपूर्व सैनिक (हां/नहीं)

(iii) शारीरिक विकलांग (हां/नहीं)

यदि हां तो तो विकृति बताएं (दृष्टि/अधि/श्रुति)

8. वर्तमान रोजगार (रेलवे/केंद्र/राज्य/पीएसयू कर्मचारियों द्वारा भरा जाना है)

पदनाम एवं ग्रेड	तिथि से	तिथि तक	नियोक्ता का नाम और पता

9. भूतपूर्व सैनिक (भूपूसे)

नामांकन की तिथि	सत्यापन की तिथि	डिस्चार्ज की तिथि	सेवा अवधि

10. क्या आप आयु में छूट चाह रहे हैं, उपयुक्त बॉक्स में टिक (✓) करें :

अजा	अजजा	अपिव	न्यायिक रूप से अलग/ तलाकभुद्ध महिला/विधवा	ज एवं क. निवासी	भूपूसे	रेलवे कर्मचारी	पाठ्यक्रम पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस	शारीरिक विकलांग

11. क्या आपको कभी किसी रेभनो द्वारा पूर्व में प्रतिबंधित किया गया था

(क) नहीं

(ख) दो वर्ष के लिए

(ग) जीवनभर के लिए

12. प्रमाण के तौर पर संलग्न दस्तावेज : नीचे उल्लिखित बॉक्सों में से संगत बॉक्स में टिक (✓) करें.

समुदाय प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव हेतु)

आईपीओ/डीडी

रंगीन फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार)

शैक्षिक प्रमाण पत्र

अशक्तता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-9 के अनुसार शारीरिक विकलांग हेतु)

दृष्टि/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से प्रभावित व्यक्ति से घोषणा (स्क्राइब के वास्ते,

परिशिष्ट-10 के अनुसार)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग प्रमाण पत्र

(आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों के लिए परिशिष्ट-7 के अनुसार)

अल्प-संख्यक स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र

(परिशिष्ट-08 के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदाय हेतु)

13. नीचे दिए गए स्थान में निम्नांकित घोषणा को अपने स्वयं के हस्तालेखन में लिखें :

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए सभी विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सत्य तथा पूर्ण हैं तथा किसी भी सूचना की छुपाया या दबाया नहीं गया है. मैं यह भी समझता हूँ कि भर्ती या उसके बाद किसी चरण के दौरान मेरे किसी विवरण के असत्य पाए जाने पर आवेदित पद हेतु मझे अपात्र कर दिया जाएगा तथा/अथवा मैं वर्तमान नियमाधीन अन्य किसी कार्रवाई के योग्य होऊंगा.

उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

स्थान :

तिथि :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
क्र.सं.:

अजा/अजजा हेतु जाति प्रमाण पत्र प्रपत्र

उम्मीदवार, जो एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने का दावा करता है, को अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र में उस जिले, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतया निवास करते हैं के जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, जैसा की नीचे दिखाया गया है और जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत अभिनामित किया गया है, से प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि माता-पिता दोनों मर चुके हों तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी, शिक्षा के उद्देश्य के अलावा जिस जिले में उम्मीदवार रहता हो, का होना चाहिए, जहां भी फोटो प्रमाण पत्र का अभिन्न हिस्सा है, आरआरबी केवल ऐसे प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटो प्रति न कि कोई अन्य सत्यापित या सच्ची प्रति स्वीकार करेगा।

(प्रमाण-पत्र प्रपत्र को भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अजा तथा अजजा उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम/शहर* जिला/प्रभाग*
के श्री के पुत्र/पुत्री हैं. राज्य संघ/राज्य क्षेत्र* के श्री

जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जो निम्नांकित के अधीन अजा/अजजा* के रूप में मान्यता प्राप्त है :

संविधान (अजा) आदेश 1950* संविधान (अजजा) आदेश, 1950*

संविधान (अजा) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*, संविधान (अजजा) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अजा तथा अजजा सूची (रूपान्तरण) आदेश, 1956 बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अजा तथा अजजा आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित अनुसार संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अजा आदेश, 1956*

संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अजजा आदेश, 1959* अजा तथा अजजा आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976* द्वारा संशोधित अनुसार

..... संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अजा आदेश, 1962

संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अजजा आदेश, 1962*

संविधान (पांडिचेरी) अजा आदेश, 1964*

संविधान (अजजा) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अजा आदेश, 1968*

संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अजजा आदेश, 1968*

संविधान (नगालैंड) अजजा आदेश, 1970*

संविधान (सिक्किम) अजा आदेश, 1978*

संविधान (सिक्किम) अजजा आदेश, 1978*

श्री/श्रीमती/कुमारी* तथा/अथवा उनका *परिवार ग्राम/शहर* जिला/प्रभाग* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करता है.

हस्ताक्षर.....

* * * * *
.....

(कार्यालय की मुहर सहित) राज्य संघ/राज्य क्षेत्र* * *

स्थान.....

दिनांक

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें.

टिप्पणी : उपरोक्त प्रयोग किए शब्द "सामान्यतया निवास करता है" का लोक अधिनियम, 1950 के प्रतिनिधित्व के सेक्शन 20 में समान अर्थ होना.

* * * जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी :

जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपयुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वृत्तिका प्राप्त मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वृत्तिका प्राप्त मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त प्रथम श्रेणी वृत्तिकाप्राप्त मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का नहीं)/मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट न्यूनतम तहसीलदार रैंक का राजस्व अधिकारी. उस क्षेत्र का सब-डिविजनल अधिकारी जहां तथा/अथवा उनका परिवार सामान्यतया निवास करता है.

टिप्पणी : तमिलनाडु राज्य से संबंधित अजजा उम्मीदवार केवल राजस्व डिविजनल अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.

अपित प्रमाण पत्र प्रपत्र

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रमाण-पत्र प्रपत्र प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ग्राम

..... जिला/प्रभाग राज्य

के के पुत्र/पुत्री हैं, जो समुदाय से संबंधित हैं, जो निम्नांकित

के अधीन पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यताप्राप्त है :

- (1) भारतीय गजट-असाधारण-पार्ट-1, सेक्शन-1, सं. 186 दिनांक 13 सितंबर 1993 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी@ दिनांक 10 सितंबर, 1993
- (2) भारतीय गजट-असाधारण-पार्ट-1, सेक्शन-1, सं. 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994
- (3) भारतीय गजट-असाधारण-पार्ट-1, सेक्शन-1, सं. 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई 1995
- (4) भारतीय गजट-असाधारण-पार्ट-1, सेक्शन-1, सं. 210 दिनांक 11 दिसंबर 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर 1996
- (5) भारतीय गजट-असाधारण - सं. 129 दिनांक 8 जुलाई 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी
- (6) भारतीय गजट-असाधारण - सं. 164 दिनांक 1 सितंबर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96-बीसीसी
- (7) भारतीय गजट-असाधारण - सं. 236 दिनांक 11 दिसंबर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/99/94-बीसीसी
- (8) भारतीय गजट-असाधारण - सं. 239 दिनांक 3 दिसंबर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/13/97-बीसीसी
- (9) भारतीय गजट-असाधारण - सं. 166 दिनांक 3 अगस्त 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96-बीसीसी
- (10) भारतीय गजट-असाधारण - सं. 171 दिनांक 6 अगस्त 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी
- (11) भारतीय गजट-असाधारण - सं. 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/98-बीसीसी
- (12) भारतीय गजट-असाधारण - सं. 270 दिनांक 6 दिसंबर 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/1088/98-बीसीसी
- (13) भारतीय गजट-असाधारण - सं. 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99-बीसीसी

श्री तथा/अथवा उनका परिवार सामान्यतया

जिला/प्रभाग राज्य में निवास करता है. यह भी प्रमाणित करना है कि वे भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8-9-1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) जो कि भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 के का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था (आरईएस) के तहत संशोधित किया गया है के अनुच्छेद के कॉलम 3 में दिए गए कार्मिक/सेक्शन (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है.

स्थान

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

जाति

दिनांक

मुहर

टिप्पणी :

- (क) उपरोक्त उपयोग किए गए 'सामान्यतया' शब्द का लोक अधिनियम 1950 के प्रतिनिधित्व के सेक्शन 20 में दिए गए अनुसार समान अर्थ होगा
- (ख) जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं :
- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वृत्तिका प्राप्त मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वृत्तिका प्राप्त मजिस्ट्रेट रैंक से नीचे का नहीं)
 - (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
 - (iii) न्यूनतम तहसीलदार रैंक का राजस्व अधिकारी तथा
 - (iv) उस क्षेत्र का सब-डिविजनल अधिकारी जहां उम्मीदवार या उसका परिवार निवास करता है.

रोजगार सूचना सं. आरआरबी के संदर्भ में पदों
हेतु आवेदन करते समय आवेदन के साथ पिछड़ा वर्ग द्वारा जमा किए
जाने वाले स्वघोषणा हेतु प्रारूप

“मैं पुत्र/पुत्री श्री

ग्राम/शहर/नगर जिला

. राज्य का निवासी एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं

..... समुदाय (अपनी उप-जाति का उल्लेख करें) से संबंधित हूँ, जो कार्मिक एवं

प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) में

दिए गए आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप

में मान्यताप्राप्त है. यह भी घोषित है कि मैं उपरोक्त निर्देशित कार्यालय के दिनांक 08.09.

1993 के ज्ञापन के अनुच्छेद के कॉलम 3 और इसके बाद दिनांक 09.03.2004* के का.

ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था. (रि.स.) में दिए गए कार्मिक/सेक्शन (क्रीमी लेयर) से संबंधित

नहीं हूँ”

दिनांक : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान : उम्मीदवार का नाम

रेभबो परीक्षाओं की परीक्षा शुल्क में छूट हेतु केवल जारीकर्ता प्राधिकारी के
लैटर हैड पर जारी किया जाने वाला आय प्रमाण पत्र
(केवल आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए)

रेभबो परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं का शुल्क माफ करने संबंधी आय का प्रमाण पत्र

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. आवासीय पता :
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों में और अंकों में) :
6. जारी करने की तिथि :
7. जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर :

(जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम)

8. जारी कर्ता प्राधिकारी की मोहर

टिप्पणी : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आशय है, ऐसे परिवार जिनकी कुल वार्षिक आय रु. 50000 प्रति वर्ष से कम है.

चिन्हित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आय प्रमाण पत्र जारी करने के वास्ते निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :

- (i) जिलाधीश या तहसीलदार के स्तर तक का कोई भी राजस्व अधिकारी
- (ii) लोकसभा का वर्तमान सांसद, अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए
- (iii) बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा जारी प्रमाण पत्र या रेलवे से जारी इज्जत एमएसटी
- (iv) केंद्रीय मंत्री भी देश के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/रेभबो को अनुशंसा कर सकता है.
- (v) राज्यसभा का वर्तमान सांसद, जिले के व्यक्तियों के लिए जहां पर वह सांसद सामान्यतः रहता है.

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों की स्वयं घोषणा

(रिभवों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय उम्मीदवारों को रोजगार सूचना सं. कोटि सं. पद के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र)

घोषणा

" मैं पुत्र/पुत्री श्री

....., निवासी गांव/गली/कस्बा/शहर

....., जिला राज्य

एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं से संबंधित हूं (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करें अर्थात् मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/पारसी)

तिथि : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान : उम्मीदवार का नाम

टिप्पणी : परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" प्रस्तुत करनी होगी कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/पारसी) से संबंधित है.

रेल भर्ती बोर्ड
अशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का फार्म
संस्थान/अस्पताल का नाम और पता प्रमाणित किया जाता है कि

प्रमाण पत्र सं.....

तारीख

अशक्तता प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु लिंग पहचान

चिह्न निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हैं :

- (क) गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)
- (i) दोनों टांगें (बीएल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- (ii) दोनों बाहें (बीए) - दोनों बाहें प्रभावित
- (क) दुर्बल पहुंच -
- (ख) कमजोर पकड़
- (iii) दोनों टांगें और बाहें (बीएलए) - दोनों टांगें और दोनों बाहें प्रभावित
- (iv) एक टांग (ओएल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
- (क) दुर्बल पहुंच
- (ख) कमजोर पकड़
- (ग) गति विभ्रम (अटक्सिक)
- (v) एक बांह (ओए) - एक बांह प्रभावित
- (क) दुर्बल पहुंच
- (ख) कमजोर पकड़
- (ग) गति विभ्रम (अटक्सिक)
- (vi) पीठ और नितम्ब (बीए) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
- (vii) कमजोर मांसपेशियां (एमडब्ल्यू) - मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

यहां अपना हाल का
फोटो चिपकाएं जो
आपकी निःशक्तता
दर्शाता हो (फोटोग्राफ
चिकित्सा बोर्ड के
अध्यक्ष द्वारा सत्यापित
किया गया हो)

फोटोग्राफ के नीचे उपर्युक्त
बॉक्स में उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(ख) अंधापन अथवा अल्प दृष्टि :

- (i) बी (i) अंधता
- (ii) पीबी (ii) आंशिक रूप से अंधता

(ग) कम सुनाई देना :

- (i) डी (i) बधिर
- (ii) पी डी (ii) आंशिक रूप से बधिर

2. यह स्थिति प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है. इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है.*

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है.

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं :

- | | | | | |
|--|-----|--------------------------|------|--------------------------|
| (i) एफ - अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (ii) पीपी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (iii) एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (iv) केसी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (v) बी - झुककर कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (vi) एस - बैठकर कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (vii) एसटी - खड़े होकर कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (viii) डब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (ix) एसई - देखकर कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (x) एच - सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |
| (xi) आरडब्ल्यू - पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां | <input type="checkbox"/> | नहीं | <input type="checkbox"/> |

(डॉ के हस्ताक्षर)

(डॉ के हस्ताक्षर)

(डॉ के हस्ताक्षर)

नाम :

नाम :

नाम :

पंजीकरण सं :

पंजीकरण सं :

पंजीकरण सं :

सदस्य, चिकित्सा बोर्ड

सदस्य, चिकित्सा बोर्ड

सदस्य, अध्यक्ष, चिकित्सा बोर्ड

* जो लागू न हो उसे काट दें.

स्थान :

चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

तिथि :

अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (मुहर सहित)

टिप्पणी : (i) केन्द्र सरकार द्वारा 31.12.1996 को अधिसूचित अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारियों की रक्षा तथा पूर्ण सहभागिता) नियम 1996 के अनुसार अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारियों की रक्षा तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 (1996 का 1) के खण्ड 73 के उप खण्ड (1) तथा (2) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अशक्तता संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने के पहले सक्षम प्राधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड होगा. राज्य सरकार एक चिकित्सा बोर्ड गठित कर सकता है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे और इनमें कम से कम एक सदस्य गतिविषयक/श्रव्य तथा स्पीच अशक्तता मानसिक विकलांगता और लेप्रोसी से संबंधित क्षेत्र विशेष का जो भी लागू हो विशेषज्ञ होगा (ii) उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जिनकी अशक्तता अस्थायी प्रकृति की है. स्थाई प्रकृति की अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के मामले में वैधता स्थाई दर्शाई जा सकती है.

दृष्टि विकलांग उम्मीदवार और जिनकी लिखने की गति प्रभारिष्ठीय पक्षाघात से प्रभावित है द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा उम्मीदवार द्वारा रखे जाने वाले स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम :
2. उम्मीदवार की जन्म तिथि :
3. स्क्राइब का नाम :
4. स्क्राइब के पिता का नाम :
5. स्क्राइब का पता : (क) स्थाई पता :
(ख) वर्तमान पता :
6. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता :
7. उम्मीदवार के स्क्राइब का संबंध यदि कोई है :

कंट्रोल नं. (कार्यालय प्रयोग हेतु)

यहां पर स्क्राइब का 4 सें.
मी. x 5 सें.मी. आकार
का पासपोर्ट आकार का
रंगीन फोटोग्राफ विषकारण
(रंगीन फोटो 3 माह से
अधिक पुराना न हो)

फोटोग्राफ के नीचे उपर्युक्त
बॉक्स में उम्मीदवार के हस्ताक्षर

8. घोषणा : हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर प्रेषित विवरण मेरी अच्छी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है. हमने इस परीक्षा में दृष्टि विकलांग उम्मीदवारों की परीक्षा के आयोजन/स्क्राइब के प्रयोग के संबंध में रेल भर्ती बोर्ड के अनुदेश को पढ़ लिया है तथा एतद्द्वारा उनके पालन का हम वचन देते हैं. हम यह भी घोषणा करते हैं कि :-

(क) स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता आवेदित पद के लिए निर्धारित योग्यता से कम है. (ख) स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता उसी क्षेत्र में है. क्योंकि उम्मीदवार का आवेदन पत्र सामान्य पदों के लिए है/स्क्राइब का शैक्षणिक विषय क्षेत्र उम्मीदवार से भिन्न है क्योंकि उसका आवेदन पत्र विशेषज्ञ पद के लिए है (जो लागू नहीं उसे हटा दें) (ग) स्क्राइब ने उपर वर्णित योग्यता में 60% से अधिक अंक अर्जित नहीं किए हैं.


* जो लागू न हो उसे काट दें.

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)



ऊपर दिये गये बॉक्स में उम्मीदवार के
बायें हाथ के अंगूठे का निशान

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)



ऊपर दिये गये बॉक्स में स्क्राइब के
बायें हाथ के अंगूठे का निशान